

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.02.2025

जनपद- चन्दौली

जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 11 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।

चन्दौली:- जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 11 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

थाना धानापुर-

1. मनीष उर्फ गुरुदयाल यादव पुत्र बुल्लू यादव निवासी ग्रान कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1-मु०अ०सं० 08/2020 धारा 147, 148, 332, 427, 504, 506 भा०द०वि० थाना धानापुर।

2-मु०अ०सं० 51/2020 धारा 380, 411 भा०द०वि० थाना धानापुर।

3-मु०अ०सं० 65/2020 धारा 380, 411 भा०द०वि० धानापुर।

2. आकाश बिन्द पुत्र हरिवंश बिन्द निवासी ग्राम कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1-मु०अ०सं० 119/2020 धारा 323, 498ए, 504 भा०द०वि० व 03/4 डी०पी० एक्ट थाना धानापुर।

2-मु०अ०सं० 40/2023 धारा 34, 307 भा०द०वि० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर।

3-मु०अ०सं० 56/2023 धारा 380, 411 भा०द०वि० धानापुर।

3. चुनमुन उर्फ छोटू पुत्र हरिनाथ निवासी ग्राम कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1-मु०अ०सं० 51/2020 धारा 380, 411 भा०द०वि० थाना धानापुर।

2-मु०अ०सं० 65/2020 धारा 380, 411 भा०द०वि० थाना धानापुर।

3- मु०अ०सं० 40 / 2023 धारा 34, 307 भा०द०वि० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर।

4- मु०अ०सं० 56/2023 धारा 380, 411 भा०द०वि० थाना धानापुर।

4. मुन्ना बिन्द पुत्र स्व० रामकरन बिन्द निवासी ग्राम कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1-मु०अ०सं० 65/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रू०अधि० थाना कन्दवां।

2-मु०अ०सं० 106/2020 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट थाना कन्दवां। 3-मु०अ०सं० 20/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रू०अधि० थाना धानापुर।

4-मु०अ०सं० 52/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रू०अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर।

5- मु०अ०सं० 155/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना धानापुर।

थाना अलीनगर-

5. संतोष बिन्दु पुत्र नरेश बिन्दु निवासी ग्राम खानजहांचक पचपेड़वा थाना अलीनगर जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 05/2021 धारा 379, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 2-मु०अ०सं० 09/2021 धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 3-मु०अ०सं० 29/2021 धारा 379, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 4-मु०अ०सं० 66/2021 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 5- मु०अ०सं० 59/2021 धारा 41, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 6- मु०अ०सं० 76/2021 धारा 379, 411, भा०द०वि० थाना मुगलसराय।
- 7-मु०अ०सं० 123/2021 धारा 3 (1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अलीनगर।

6. विकास सोनकर पुत्र टिन्चू सोनकर निवासी ग्राम खानजहांचक पचपेड़वा थाना अलीनगर जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 05/2021 धारा 379, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 2-मु०अ०सं० 09/2021 धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 3-मु०अ०सं० 29/2021 धारा 379, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 4-मु०अ०सं० 66/2021 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 5-मु०अ०सं० 59/2021 धारा 41, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 6- मु०अ०सं० 76/2021 धारा 379, 411, भा०द०वि० थाना मुगलसराय।
- 7-मु०अ०सं० 123/2021 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अलीनगर।

7. संतोष कुमार यादव पुत्र स्व० शिवनाथ यादव निवासी ग्राम गंजख्वाजा थाना अलीनगर जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 176/2012 धारा 392, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 2-मु०अ०सं० 185/2012 धारा 392, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 3 मु०अ०सं० 187/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर।
- 4- मु०अ०सं० 59/2013 धारा 110 सीआरपीसी थाना अलीनगर।
- 5-मु०अ०सं० 73/2013 धारा 3(1) उ०प्र०गुण्डा एक्ट थाना अलीनगर।
- 6-मु०अ०सं० 190/2019 धारा 307, 399, 402, 41, 411, 414 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 7-मु०अ०सं० 197/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 8-मु०अ०सं० 234/2019 धारा 3 (1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अलीनगर।
- 9-मु०अ०सं० 144/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर।

8. धर्मेन्द्र भारती पुत्र ओमप्रकाश भारती निवासी ग्राम रेवंसा थाना अलीनगर जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 45/2011 धारा 394, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 2-मु०अ०सं० 162/2012 धारा 307 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 3- मु०अ०सं० 174/2011 धारा 356, 392, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 4- मु०अ०सं० 176/2011 धारा 307 भा०द०वि० था। अलीनगर।
- 5-मु०अ०सं० 243/2011 धारा 307 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 6-मु०अ०सं० 244/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर।
- 7-मु०अ०सं० 257/2010 धारा 307 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 8-मु०अ०सं० 229/2011 धारा 394, 411 भा०द०वि० थाना अहरौरा मिर्जापुर।
- 9-मु०अ०सं० 234/2010 धारा 392, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 10-मु०अ०सं० 279/2011 धारा 394, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 11-मु०अ०सं० 302/2010 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना अलीनगर।
- 12-मु०अ०सं० 113/2011 धारा 356, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 13-मु०अ०सं० 119/2011 धारा 392, 411 भा०द०वि० थाना अलीनगर।
- 14-मु०अ०सं० 112/2012 धारा 379, 411 भा०द०वि० थाना चकिया।
- 15-मु०अ०सं० 283/2012 धारा 392, 395, 412 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

16-मु0अ0सं0 349/2012 धारा 307, 504 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

थाना धीना-

9. अजय नारायण सिंह उर्फ चप्पू पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ग्राम माधोपुर थाना धीना जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 202/2009 धारा 504, 506 भा०द०वि० थाना धीना।
- 2-मु०अ०सं० 178/2014 धारा 34 / 307 भा०द०वि० थाना सकलडीहा ।
- 3-मु0अ0सं0 115/2018 धारा 307, 504, 506 भा०द०वि० थाना धीना।
- 4- मु०अ०सं० 85/2022 धारा 489बी, 489सी, 489डी भा०द०वि० थाना बलुआ ।
- 5-मु०अ०सं० 240/2022 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना बलुआ।

थाना कन्दवा-

10. लक्ष्मण बिन्दु पुत्र नन्द किशोर बिन्दु निवासी ग्राम कोदई थाना कन्दवां जनपद चंदौली

- 1-मु0अ0सं0 31/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि०अधि० व 11 पशु क्रू०अधि० थाना कन्दवां।
- 2-मु0अ0सं0 49/2023 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना कन्दवां।

थाना बलुआ-

11. रोहित निषाद पुत्र मखन निषाद निवासी ग्राम सराय थाना बलुआ जनपद चंदौली

- 1-मु०अ०सं० 224/2022 धारा 379, 411 थाना बलुआ ।
- 2-मु0अ0सं0 225/2022 धारा 8/20 एनपीडीएस एक्ट थाना बलुआ।
- 3-मु0अ0सं0 202 / 2023 धारा 452, 354 (क),323, 504,506 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ध / 3 (2)5(क) एससीएसटी एक्ट थाना बलुआ।

(ऑपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ गैर-इरादतन हत्या के दोषी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 12000-12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह-III (ए.एस.जे.कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 12000-12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.12.2009 को धारा 323,504,304 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.गुलाब राम पुत्र अलियार 2.तुलसी राम पुत्र अलियार निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 318/2009 धारा 323,504,304 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 19.02.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह-III (ए.एस.जे.कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों 1.गुलाब राम पुत्र अलियार 2.तुलसी राम पुत्र अलियार निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 12000-12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चोरी की 03 मोटर साइकिल को बरामद कर 02 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थी रामअवध यादव पुत्र स्व० बेचू यादव निवासी ग्राम मचियाकला थाना सदर जिला चन्दौली की बाइक Splender (NXG) जिसका रजि० न० U.P 67E7781 से कचहरी चदौली आया और बाइक को बालिका इण्टर कालेज गेट के सामने खड़ा करके कचहरी चला गया। समय करीब 12.30 बजे दिन जाने के लिए अपनी गाडी के पास आया तो प्रार्थी की बाईक मौके पर मौजूद नहीं थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 37/2025 धारा 303(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर लीलापुर अण्डरपास के निचे से 02 व्यक्ति के कब्जे से तीन चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। जिसमें वाहन नम्बर UP67 E7781 सम्बन्धित मु०अ०स० 37/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चन्दौली से सम्बन्धित है धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कचहरी चन्दौली से 03 गाडियां कुछ ही दिनों में चोरी किया हूं एक गाडी जिसका नम्बर UP67 D 2846 ग्लैमर है को साहू जी पोखरा के पास छुपाकर रखा हूं जिसे बरामद करा सकता हूं तथा एक गाडी पल्सर नीले रंग की थी जिसका नम्बर UP65 BY 0539 है को मै फगुईया में रहने वाले कबाडी को 3000 रुपये में बेच दिया हूं। चोरी की गाडी को मै बेचने के लिये बिहार की पार्टी का इन्तजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया है।

अभियुक्त का नाम पता-

- 1-शशि प्रकाश पुत्र राजाराम निवासी कोडरिया खगवल थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष
- 2-पन्ना गुप्ता पुत्र रामाश्रय गुप्ता नि फुटिया थाना व जिला चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 1- UP67E7781 चेचिस न MBLHA12EFA9C00026 व इनं HA112ECA9B01061
- 2- गाडी नम्बर UP67 D 2846 ग्लैमर चेचिस नं चेक MBLJA06EG8GC19062 व इनं JA06EB8GC20121
- 3- गाडी नं. UP65 DY 0539 चेचिस नं० MD2A11CZ6GCM85229 इनं DHZCFM61892

बरामद करने वाली टीम –

- 1.उ०नि० विनोद सिंह चौकी कस्बा थाना व जिला चन्दौली।
- 2- का० विजय कुमार चौकी कस्बा थाना व जिला चन्दौली